कार्यालय प्रभारी, छात्र कल्याण
उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गौ–अनुसंधान संस्थान, मथुरा– 281001

संख्याः– 476 / प्र0छा0क0 / 2024–25 दिनांकः– 31 दिसम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् डिप्लोमा / स्नातक के छात्र / छात्राओं को सूचित करना है कि उनके लिए स्टूडेन्ट हैण्डबुक के पृष्ठ संख्याः 12, चैप्टर–02 के बिन्दु संख्याः 01 के उपबिन्दु–1.2 में निहित प्राविधान **"Underaduate/Diploma students are permitted to keep cycles only. No motor vehicle will be allowed. The Post Graduate students can keep motor vehicles after getting permission from concerned authority and it will be compulsory for residents to park their cycle in the cycle shed".** के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में दोपहिया वाहनों का प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। उक्त सभी छात्र / छात्रा अपनी शिक्षा अवधि के दौरान परिसर के अन्दर कक्षाओं हेतु आने–जाने के लिए साइकिल का प्रयोग कर सकेंगे। जबकि परास्नातक के छात्रों को सम्बन्धित प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त परिसर के अन्दर आवागमन हेतु दोपहिया वाहन के प्रयोग की सुविधा अनुमन्य है।

अतः डिप्लोमा / स्नातक के सभी छात्र / छात्रा स्टूडेण्ट हैण्डबुक के उक्त नियमों की अनुपालना करते हुए परिसर के अन्दर आवागमन हेतु साइकिल का प्रयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभारी, छात्र कल्याण

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन / जैव प्रोद्यौगिकी / मत्स्य विज्ञान / डेयरी विज्ञान।
2. निदेशक, पैरावेटेरिनरी साइंस संस्थान, दुवासु मथुरा।
3. समन्वयक, आई.क्य.ए.सी. सैल, दुवासु मथुरा।
4. छात्रावास अधीक्षक / अधीक्षिकाओं को इस आशय के साथ कि छात्रावासों में डिप्लोमा / स्नातक के छात्र / छात्राओं से उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा इन आदेशों को छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी, ऐरिस सैल, दुवासु मथुरा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

प्रभारी, छात्र कल्याण
प्रभारी छात्र कल्याण
उ०प्र० वैटेरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा